न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर तारीख दायर तारीख फैसला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 6.04.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:16:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
524/2022	28-10-2022	06.04.2023

उनवान

01. राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री भगवानसहाय
02. दीवानसिंह पुत्र श्री राजपाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आलमपुर भिवाडी पूर्व तहसील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)

------:: वादीगण

(बनाम)

01. बीरपाल पुत्र स्व0 श्री बंशी जाति गुर्जर निवासी ग्राम आलमपुर भिवाडी पूर्व तहसील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)
02. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील टपूकडा जिला अलवर

------:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 278 रकबा 0.32 है0 में से 1/3 भाग में से 319.2 वर्गगज जो प्रतिवादी संख्या 1 के नामित हिस्सा वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त हाल आराजी खसरा नम्बर 278 रकबा 0.32 है0 में से 1/3 भाग जो कि बंशी दत्तक पुत्र लेखा की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। उपरोक्त बंशी ने वर्णित आराजी के अपने 1/3 भाग में से 319.2 वर्गगज का बेचान जरिये रजि. बयनामा दिनांक 25.06.2020 को हम वादीगण ने समभाग में बाकब्जा बाप्रतिफल अदा कर कर दिया। जिसका बयनामा दिनांक 25.0.2020 को उपपंजीयक कार्यालय भिवाडी के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 595 में पृष्ठ संख्या 86 कम संख्या 202003111101595 पर पंजीबद्व कराया गया। हम वादीगण आराजी के सदभावी केता काबिज आराजी हो गये और उक्त बयनामा की प्रति हल्का पटवारी को वास्ते इंतकाल दर्ज करने के लिए दे दिया और हल्का पटवारी ने इंतकाल दर्ज व मंजूर कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आश्वासन दिया। हम वादीगण वक्त खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दाखिल कर काश्तकार करना आरम्भ कर दिया और मौके पर हम वादीगण का खरीदशुदा आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हल्का पटवारी ने सहबन से बयनामा दिनांक 25.06.2020 के अनुसार इंतकाल हम वादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार नहीं किया और पूर्व की भांति विक्रेता बंशी के नाम का अमल दरामद रहा और बंशी का भी देहान्त हो गया है। जिसका विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है जिसको उक्त बेचान की पूरी पूरी जानकारी रही है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:16:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को गुमराह कर बयनामा के तथ्यों को छुपाते हुये गलत तरीके से विरासत इंतकाल अपने नाम दर्ज व मंजूर कराकर राजस्व रिकार्ड में अमल करा दिया। जो गलत अमल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का चला आ रहा है। पंजीकृत बयनामा दिनांक 25.06.2020 के अनुसार वादीगण आराजी के काबिज मालिक है। प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम विवादित आराजी का चला आ रहा गलत अमल हम वादीगण के हकूकों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पावन्द है, प्रभाव शून्य है, जिसे इसी कदर बातिल बो बेअसर करार दिलाने के अधिकारी है। हम वादीगण बयनामा दिनांक 25.06.2020 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अमल में से हम वादीगण अपने नाम विवादित आराजी की हद तक हजाफ कराकर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर ईश्तकरारहक गय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री पाने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया। प्रस्तुत बयनामा दिनांक 25.06.2020 के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 278 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 319.2 वर्गगज पर वादीगण को समभाग का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:16:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
524/2022	28–10–2022	06.04.2023

उनवान

01. राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री भगवानसहाय
02. दीवानसिंह पुत्र श्री राजपाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आलमपुर भिवाडी पूर्व तहसील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

(बनाम)

01. बीरपाल पुत्र स्व0 श्री बंशी जाति गुर्जर निवासी ग्राम आलमपुर भिवाडी पूर्व तहसील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)
02. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील टपूकडा जिला अलवर

-----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिकी ::–

हाल आराजी खसरा नम्बर 278 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 319.2 वर्गगज पर वादीगण को समभाग का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो।

आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:16:40 IST
Reason: SelfAttested